

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 344 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर 2018 — भाद्रपद 21, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 (भाद्रपद 21, 1940)

क्रमांक-8346/वि. स./विधान/2018. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018), जो बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-  
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)  
सचिव.

## छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 15 सन् 2018)

## छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उन्हरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- |   |    |     |   |
|---|----|-----|---|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.   | 1. | (1) | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.   |
|   |    | (2) | इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.  |
|   |    | (3) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.  |
| द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) का संशोधन.                                     | 2. |     | छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (2) की प्रविष्टियों में, शब्द "बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर" के स्थान पर, शब्द "अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर" प्रतिस्थापित किया जाये. |
| छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्र. 7 सन् 2012) की धारा 3 का संशोधन. | 3. |     | छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्र. 7 सन् 2012) में, धारा 3 में, शब्द "बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर" के स्थान पर, शब्द "अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर" प्रतिस्थापित किया जाये.  |

## उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता एवं भारत रत्न से विभूषित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उपयुक्त सम्मान प्रदान करने तथा कृतज्ञ राज्य की श्रद्धांजलि के रूप में तथा उनकी स्मृति को अक्षुण्ण एवं चिरस्थायी बनाये रखने के उद्देश्य से "बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर" को "अटल बिहारी वाजपेयी" के नाम पर करने का संकल्प किया है;

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुये, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) यथा संशोधित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2012) को संशोधित करना आवश्यक है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,  
दिनांक 8 सितम्बर, 2018

प्रेमप्रकाश पाण्डेय  
उच्च शिक्षा मंत्री  
(भारसाधक सदस्य)

## उपाबन्ध

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) का सुसंगत उद्धरण :-

द्वितीय अनुसूची  
भाग-दो (पुनरीक्षित)  
[ धारा 4 (सन्नह) देखिए ]

- (2) मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 2 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“3.	बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र”

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2012) की धारा-3 का सुसंगत उद्धरण :-

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011(क्रमांक 7 सन् 2012) समस्त परिनियम, अध्यादेश विनियम जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011, के प्रारंभ होने के पूर्व सरगुजा विश्वविद्यालय, सरगुजा में प्रभावी थे, वे बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर के परिनियम, अध्यादेश, विनियम माने जायेंगे।

चन्द्र शेखर गंगराड़े  
सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा.